फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

TL

केस संख्या : 45/24   35(जे) बनाम गोपाल सिंह

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	2/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत। व.के.उप./ उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 8 व 11 अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 7 का जवाब बंद किया जाता है। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से दिनांक 28/6/2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 45/2024

रूडसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राव निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर

बनाम

.....प्रार्थी

1. गोपाल सिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राव निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
2 उदय सिंह पुत्र घासी सिंह
3 अमर सिंह पुत्र घासी सिंह
4 लक्ष्मी कवर पुत्री घासी सिंह
5. चांद कंवर पुत्री घासी सिंह
6. सन्तोष कंवर पुत्री घासी सिंह
7. प्रभात कंवर पत्नि घासी सिंह
   समस्त जाति राव निवासीयान् ग्राम महेशपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
8. नीतू कंवर पुत्री बहादुर सिंह उर्फ बोदू सिंह जाति राव निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
9 प्रेम सिंह पुत्र बलबीर सिंह जाति राव निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर
10. प्रहलाद सिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राव निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर
11. बाला कंवर पत्नि बहादुर सिंह उर्फ बोदू सिंह जाति राव निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर
12. महेन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह जाति राव निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर
13. मोनिका शर्मा पत्नी दीपक शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी 93. देव की ढाणी, ग्राम सरनाडूंगर, खोरा बिसल जिला जयपुर।
15. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
16. उप पंजीयक, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर

.....अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा पत्र
अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 02.02.2026

हस्तगत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम महेशपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर मे स्थित आराजियात कृषि भूमि खसरा न. 44 रकबा 0.0900 है.. खसरा न. 45 रकबा 0.1200 है., खसरा न. 54 रकबा 0.2000 है., खसरा न. 55 रकबा 0.2100 है., खसरा न. 56 रकबा 0.

0100 है., खसरा न. 57 रकबा 1.0500 है., खसरा न. 58 रकबा 0.2700 है., खसरा न. 59 रकबा 0.2500 है.. खसरा न. 60 रकबा 1.5800 है.. खसरा न. 77 रकबा 0.1500 है., खसरा न. 78 रकबा 0.1500 है. कुल किता 11 कुल रकबा 4.0800 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का हिस्सा 3/16 व शेष हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 के नाम वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073—2076 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अमल है इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है घासीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह की मृत्यू हो चूकि है अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 इनके वारीस है इसलिये इनको पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि को आगे चलकर सुविधा की दृष्टि से विदादित आराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 सहकाश्तकार है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 के मन में खोट आ जाने के कारण एवं प्रार्थी को परेशान करने की गरज से प्रार्थी को एलानिया धमकी देते है कि वह बिना विभाजन कराये सामलाती काश्त की भूमि का बेचान सोसायटी या अन्य व्यक्तियों को कर देगें जो उक्त भूमि को छोटे—छोटे भूखण्डो में विभक्त कर कॉलोनी काट देंगे एवं जबरिया रूप से प्रार्थी को कब्जे कास्त कि भूमि से बेदखल कर देगे ऐसी अवस्था में विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि का बेचान का इरादा कर रखा है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 ने दिनांक 24.06.2024 को वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि की अजनबी व्यक्तियों को सीमायें बताने लगे तब प्रार्थी ने जानकारी की तो मालूम चला कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 उक्त वर्णित भूमि का बेचान करने एंव भूमि पर निर्माण कार्य करवाने पर आमाद है एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी की सामलाती भूमि को छोटे—छोटे भूखण्डो में विभक्त कर अजनबी व्यक्तियों को बेचान कर देगे। वाद कारण 24.06.2024 को जब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित अराजियात का बिना विधिवत् विभाजन करवाये अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू हो गया ऐसी अवस्था में दावा बाबत विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा लाना आवश्यक हुआ। प्रार्थी को अधिकार है कि वह प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित भूमि का नियमानुसार अपने हिस्सेनुसार तकासमा करवाये चूंकि प्रार्थी जब तक वादग्रस्त भूमि का विधिवत् विभाजन नही हो जाता है तब तक प्रार्थी सम्पूर्ण भूमि की प्रत्येक इंच पर मालिक, अधिकारी व स्वामी है एंव जब तक वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं ... अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 को इस कदर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजियान को दीगर व्यक्तियों को जरिये विक्रय पत्र, पट्टा इत्यादि द्वारा भूमि का अन्तरण नहीं करे एव प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि पर अन्य व्यक्तियों को काबिज नही करावे ना ही भूमि को छोटे छोटे भूखण्डो मे विभाजित करे, ना ही मिट्टी उठावे, ना ही कच्ची पक्की सडक का निर्माण करे, ना ही मोबाईल टावर लगायें, ना ही वादी के कब्जे कास्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वंय करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन से कराये एंव अप्रार्थी संख्या 15 को लैण्ड होल्डर होने के कारण से एंव अप्रार्थी संख्या 16 को भूमि के संबंध में पंजीयन का अधिकार होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested

कारण पक्षकार बनाया गया है जो राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे, जो वादग्रस्त सम्पत्ति के मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णनानुसार वाद कारण दिनांक 24.06.2024 को उत्पन्न होकर आज तक निरन्तर जारी है। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 की ओर से उक्त उनवानी जवाब प्रार्थना पत्र सादर पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर । अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात जो कि उत्तरदातागण ने मौके पर मनबंट अनुसार काबिज काश्त है परन्तु कुछ प्रतिप्रार्थी संख्या 13 जो कि एक अजनबी क्रेता है जो उच्च प्रशासनिक एप्रोच एवं राजनैतिक एप्रोच की धोंस की आड में उत्तरदातागण व अन्य उनके काबिज काश्त से बेदखल कर अपनी मनमर्जी पूर्वक विशिष्ट भू—भाग पर कब्जा कर निर्माण करने की कुचेष्टय का प्रयास कर रहा हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित आराजीयात की भूमि को ताफैसला वाद मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये सभी उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है तो मिन उत्तरदातागण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उज्ज नहीं है। किसी भी प्रार्थी या प्रतिप्रार्थीगण के चाहे अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र में पारित आदेश को किसी प्रकार से वाद के निस्तारण तक खारिज नही फरमाया जावें ताकि वाद में न्यायोचित आदेश पारित हो सकें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है तो मिन उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नही हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधि० 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि०ए०डी० नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 9, 10, 12, 14 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 05.06.2025 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन का निस्तारण करने हेतु तीन अनिवार्य सिद्धांतों का विस्तृत विश्लेषण पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र और अप्रार्थीगण के जवाब के आधार पर निम्न प्रकार है:

प्रथम दृष्टया मामला —इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि क्या प्रार्थी ने ऐसा मामला प्रस्तुत किया है जो पहली नजर में विचारणीय है और जिसमें प्रार्थी के अधिकारों का हनन होता प्रतीत हो रहा है। प्रार्थी रूड़सिंह ने राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी संवत 2073—2076) पेश कर यह सिद्ध किया है कि वह विवादित भूमि के 11 खसरा नंबरों (कुल रकबा 4.0800 हेक्टेयर) में 3/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार है । प्रार्थी का तर्क है कि वह एक सह—काश्तकार है और कानूनन विभाजन होने तक भूमि की प्रत्येक इंच पर उसका मालिकाना हक है। अप्रार्थी संख्या 2 से 7 ने अपने जवाब में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested

किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का हिस्सा दर्ज है । चूंकि प्रार्थी एक रिकॉर्डेड खातेदार है और पक्षों के बीच हिस्सेदारी व कब्जे को लेकर विवाद मौजूद है, अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ रूप से स्थापित होता है 2. सुविधा का संतुलन– न्यायालय यह देखता है कि निषेधाज्ञा जारी करने या न करने से किस पक्ष को अधिक असुविधा होगी। 3. अपूरणीय क्षति– यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई, तो क्या प्रार्थी को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई बाद में धन या मुआवजे से नहीं की जा सकेगी।

न्यायालय ने पाया कि जहाँ ये तीनों बिंदु (प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति) प्रार्थी के पक्ष में हों, वहां अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायसंगत है । इसी आधार पर, दिनांक 28–06–2024 के अंतरिम आदेश को स्थायी करते हुए उभय पक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया गया है

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested